



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020-21/590
- कार्यालय आदेश -

दिनांक : 07/01/2021

मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु वर्ष 2020-21 के चतुर्थ त्रैमास (01 जनवरी, 2021 से 31 मार्च, 2021) के लिए राज्य के समस्त जिलों को उनके नाम के सामने लिखी गई मात्रानुसार खाद्यान्न (गेहूं/चावल) का आवंटन एतद्वारा किया जाता है।

(Quantities in Metric Tones)

S.No.	Name of District	Class 1 to 5			Class 6 to 8			Total		
		Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total	Wheat	Rice	Total
1	Ajmer	401.80	180.13	581.93	318.64	130.47	449.11	720.44	310.60	1031.04
2	Alwar	523.72	232.38	756.10	319.55	130.86	450.41	843.27	363.24	1206.51
3	Banswara	379.24	170.46	549.70	336.22	138.00	474.22	715.46	308.46	1023.92
4	Baran	684.41	301.25	985.66	348.82	143.40	492.22	1033.23	444.65	1477.88
5	Barmer	925.29	404.48	1329.77	685.53	287.71	973.24	1610.82	692.19	2303.01
6	Bharatpur	339.06	153.24	492.30	251.42	101.66	353.08	590.48	254.90	845.38
7	Bhilwara	566.73	250.81	817.54	405.28	167.60	572.88	972.01	418.41	1390.42
8	Bikaner	342.84	154.86	497.70	179.64	70.90	250.54	522.48	225.76	748.24
9	Bundi	156.95	75.19	232.14	143.16	55.26	198.42	300.11	130.45	430.56
10	Chittorgarh	228.07	105.67	333.74	185.41	73.37	258.78	413.48	179.04	592.52
11	Churu	300.73	136.81	437.54	239.67	96.62	336.29	540.40	233.43	773.83
12	Dausa	168.78	80.26	249.04	156.69	61.06	217.75	325.47	141.32	466.79
13	Dholpur	249.80	114.98	364.78	99.34	36.48	135.82	349.14	151.46	500.60
14	Dungarpur	270.01	123.64	393.65	226.30	90.89	317.19	496.31	214.53	710.84
15	Ganganagar	268.26	122.90	391.16	150.81	58.54	209.35	419.07	181.44	600.51
16	Hanumangarh	120.54	59.59	180.13	203.09	80.95	284.04	323.63	140.54	464.17
17	Jaipur	596.53	263.58	860.11	379.35	156.49	535.84	975.88	420.07	1395.95
18	Jaisalmer	145.72	70.38	216.10	68.24	23.15	91.39	213.96	93.53	307.49
19	Jalore	397.31	178.20	575.51	255.23	103.29	358.52	652.54	281.49	934.03
20	Jhalawar	261.85	120.15	382.00	132.01	50.48	182.49	393.86	170.63	564.49
21	Jhunjhunu	155.18	74.43	229.61	157.10	61.24	218.34	312.28	135.67	447.95
22	Jodhpur	646.18	284.86	931.04	287.81	117.26	405.07	933.99	402.12	1336.11
23	Karauli	210.23	98.02	308.25	154.64	60.18	214.82	364.87	158.20	523.07
24	Kota	159.21	76.16	235.37	116.25	43.73	159.98	275.46	119.89	395.35
25	Nagaur	491.27	218.47	709.74	453.76	188.38	642.14	945.03	406.85	1351.88
26	Pali	310.95	141.19	452.14	309.87	126.71	436.58	620.82	267.90	888.72


पता :- प्रशासनिक भवन, डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन.मार्ग, जयपुर, सम्पर्क -0141-2701694, 2707166, 2701960

ई-मेल mdm-rj@nic.in

D:\D.K.Mathur\FOOD GRAIN ALLOCATION\2020-21\Allotment.docx



राजस्थान सरकार
आयुक्तालय
मिड डे मील योजना
(Mid Day Meal Scheme)



मध्याह्न भोजन योजना
Mid day Meal Scheme

27	Partapgarh	235.16	108.71	343.87	175.05	68.93	243.98	410.21	177.64	587.85
28	Rajsamand	222.91	103.46	326.37	202.73	80.79	283.52	425.64	184.25	609.89
29	S.Madhपुर	164.30	78.34	242.64	102.13	37.68	139.81	266.43	116.02	382.45
30	Sikar	237.64	109.77	347.41	243.15	98.12	341.27	480.79	207.89	688.68
31	Sirohi	181.44	85.69	267.13	99.84	36.70	136.54	281.28	122.39	403.67
32	Tonk	199.06	93.24	292.30	125.61	47.74	173.35	324.67	140.98	465.65
33	Udaipur	692.86	304.73	997.59	508.29	211.70	719.99	1201.15	516.43	1717.58
Total		11234.03	5076.03	16310.06	8020.63	3236.34	11256.97	19254.66	8312.37	27567.03

आवंटित खाद्यान्न के उठाव के संबंध में सम्बन्धित जिला रसद अधिकारी एवं जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) प्रा.शि.निम्नानुसार कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे:-

1. उक्त आवंटित खाद्यान्न का उठाव दिनांक 28.02.2021 तक आवश्यक रूप से कर लिया जाये अन्यथा यह आवंटन लैप्स हो जायेगा, किसी भी परिस्थिति में खाद्यान्न उठाव की अवधि नहीं बढ़ाई जायेगी।
2. जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारं. द्वारा आवंटित खाद्यान्न का पंचायत समितिवार (ब्लॉकवार) उप आवंटन किया जाएगा। पंचायत समितिवार उप आवंटन वास्तविक आवश्यकता के आधार पर, उपलब्ध अवशेष खाद्यान्न को समायोजित करते हुये किया जाये।
3. जिला रसद अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि आवंटित खाद्यान्न का भारतीय खाद्य निगम के गोदामों से शत-प्रतिशत उठाव कर गंतव्य स्थानों तक उपलब्ध कराया जाए ताकि चतुर्थ त्रैमास हेतु सभी विद्यालयों एवं केन्द्रीयकृत रसोईघर संचालक, स्वयं सेवी संस्थाओं (एनजीओ) में पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उपलब्ध हो सके।
4. वर्ष 2020-21 के चतुर्थ त्रैमास के लिए उठाए गये खाद्यान्न की NFSA (National Food Security Act) दरें गेहूं के लिए 2 रु प्रति किलो एवं चावल के लिए 3 रु प्रति किलो निर्धारित की गई हैं।
5. उपर्युक्तानुसार एवं नियमानुसार वांछनीय कार्रवाई करें।

Bellon
(डॉ. भँवर लाल)
आयुक्त
मिड डे मील

एफ 4(142) प्रा.शिक्षा/एमडीएम/एफ.सी.आई./खाद्यान्न उ0वि0आ0/पार्ट/2020-21/590
प्रतिलिपि :- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

दिनांक : 07/01/2021

1. समस्त जिला कलक्टर।
2. महाप्रबन्धक (क्षेत्र) भारतीय खाद्य निगम, राजस्थान, जयपुर।
3. सहायक महाप्रबन्धक (स्कन्ध एवं बिक्री), भारतीय खाद्य निगम, जयपुर।
4. समस्त जिला रसद अधिकारी।
5. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय), प्रारम्भिक शिक्षा।
6. प्रभारी आईटी सैल/लेखा शाखा।
7. रक्षित पत्रावली।

Sharma
(धूपेन्द्र कुमार जैन)
अति.आयुक्त (वित्त)

पता :- प्रशासनिक भवन, डॉ.राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जे.एल.एन मार्ग, जयपुर, सम्पर्क -0141-2701694, 2707166, 2701960

ई-मेल mdm-rj@nic.in